सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 317 राँची, सोमवार, 26 वैशाख, 1938 (श०)

16 मई, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(योजना प्रभाग)

संकल्प

12 मई, 2016

विषय :जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गनिदेश ।

संख्या-उ०स०/वि०-20/2012-842(यो०)--पिछड़े क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता का आकलन स्थानीय जनता करती है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों को कार्य एवं शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। इसी के आलोक में झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के द्वारा पंचायतों को स्पष्ट शक्तियाँ एवं कृत्य प्रत्यायोजित किए गए हैं। राज्य स्तरीय विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को **Fund, Function and Functionaries (3F)** का हस्तान्तरण भी किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के द्वारा भी पंचायतों को निधि का स्राव प्रारंभ हो चुका है। स्थानीय महत्व के लगभग सभी कार्यक्रमों में परियोजनाओं के चयन के लिए ग्राम आम सभा को सक्षम प्राधिकार के रूप में घोषित किया जा चुका है ।

परन्तु, विभिन्न मदों से स्वीकृत एवं कार्यान्वित करायी गई योजनाओं के अनुपयोगी होने के उदाहरण भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्राम आमसभा द्वारा चयनित योजनाओं की भौगोलिक पृष्ठभूमि सीमित होने के कारण अन्तरपंचायत योजनाओं या जिलास्तरीय महत्व की आवश्यकताओं पर केन्द्रित होना आवश्यक है। राज्य सरकार सभी जिलों के मानको में गुणवतापूर्ण सुधार एवं समावेशी विकास की अवधारणा लाने के लिए कटिबद्ध है। ऐसी विशिष्ट आवश्यकताओं को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु जिला योजना अनाबद्ध निधि का प्रावधान किया गया है।

जिला योजना का मुख्य उद्देश्य केवल विभिन्न जिलों के बीच विषमता ही नहीं, बल्कि जिलों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों की विषमता को भी दूर करना है। अतएव जिला के अन्दर अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नई परियोजनाओं के चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी योजनाएं जिसके द्वारा उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि, नियोजन के अवसर का विस्तार एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की पूर्ति में मदद मिलने की संभावनाओं तथा अन्य स्रोतों से निधि उपलब्ध होने में कठिनाई हो, तो वैसी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अनाबद्ध निधि से अपेक्षित निधि उपलब्ध करायी जा सकेगी। ऐसा करने से इन योजनाओं में किए गए व्यय का सदुपयोग होगा ।

2. स्वरूपः-

योजना का स्वरूप अनाबद्ध होगा। इसके अन्तर्गत लघु एवं **Missing Gap** की योजना ली जा सकेगी। किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना के निर्माण का कार्य लिया जा सकेगा।

पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत योजनाओं की प्राथमिकता सूची, अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए निधि की आवश्यकता, नई योजनाओं के लिए निधि की उपलब्धता, योजनाओं के संबंध में सरकारी मार्गदर्शन आदि सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखकर उपायुक्त द्वारा जिला की वार्षिक योजना में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे ।

3. उद्देश्यः-

(क) वर्षों से निर्मित एवं अधूरी पड़ी, परन्तु अनुपयुक्त आधारभूत संरचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए **Missing Gap** की योजना ली जा सकेगी ।

(ख) ज्वलंत स्थानीय आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री तथा उस जिला के जिला योजना समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री) के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा किए गए अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से निम्न उपबंध किए जाते हैं:-

(i) अनाबद्ध निधि अन्तर्गत अपूर्ण/चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निधि के उपबंध के पश्चात् शेष उपलब्ध राशि की 115 प्रतिशत राशि की नई परियोजनाएं ली जा सकती है। नई योजनाओं के लिए इस अधिसीमा की 10 प्रतिशत राशि का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जा सकेगा ।

(ii) माननीय मुख्यमंत्री तथा संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के द्वारा अनुशंसित 25.00 लाख रू० तक की योजनाओं की स्वीकृति जिला योजना कार्यकारिणी समिति ही कर सकेगी ।

(iii) ततपश्चात् ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं का अनुमोदन संबंधित जिला योजना समिति के प्रभारी मंत्री से संचिका के माध्यम से प्राप्त कर कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकेगा ।

(iv) जिला योजना समिति की अगली बैठक में ऐसी अनुशंसित एवं कार्यान्वित योजनाओं की सूची प्रस्तुत की जाएगी एवं उन्हें समिति की उक्त तिथि को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित समझा जाएगा ।

(ग) शासन तंत्र में जनता का विश्वास अर्जित करने एवं विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रभ्रमण के दौरान आकस्मिक रूप से उठे स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए यह बदलाव किया जा रहा है ।

(घ) वैसे संसाधन विकसित करना जो **Missing Gap** की हो और अल्प राशि व्यय करने पर योजना उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय ।

(च) नवप्रवर्तन प्रकृति **(innovative)** की भी योजनाएं ली जा सकेगी ।

(छ) किसी अन्य योजना से अधिक संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से सीड मनी के रूप में भी राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा, ताकि जिले को अधिक से अधिक सकल संसाधन प्राप्त हो सके ।

(ज) किसी अन्य वित्तीय संसाधन से किसी आर्थिक परियोजना विशेष के लिए ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से दिए जानेवाले मार्जिन मनी के रूप में भी इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि जिले को प्राप्त होनेवाले सकल संसाधन में बढ़ोतरी हो सके ।

(झ) इस राशि का सदुपयोग जिला/पंचायत स्तरीय आर्थिक समिति के बेंचमार्क सर्वे, जिसके द्वारा जिले/पंचायतों का पंचायत डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेंचमार्क का आकलन करने तथा इसमें होनेवाले वृद्धि/ह्रास का आकलन करने तथा इसके कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से किए जानेवाले मूल्यांकन कार्यों के लिए भी राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा ।

(ट) सामूहिक लाभ की योजना के निर्माण के लिए राशि का सदुपयोग किया जा सकेगा ।

(ठ) जिला योजना समिति, जिला के विभिन्न प्रखण्डों में क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रखण्ड/पंचायत अथवा नगरीय क्षेत्रों में महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक योजना का चयन कर इस निधि से कार्यान्वित करा सकती है ।

(ड) जिला योजना के लिए अनाबद्ध निधि, विकास कार्यक्रमों के लिए पूरक स्वरूप देगी। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व होगा कि अनाबद्ध निधि में उपलब्ध निधि के सदुपयोग के कारगार व्यवस्था करे, चूंकि इस निधि के उपयोग के लिए समन्वय का दायित्व उपायुक्त को सौंपा गया है,

अतएव उपायुक्त जिला में उपलब्ध प्रशासनिक/तकनीकी क्षमता का उपयोग अनाबद्ध निधि से ली जानेवाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करेंगे ।

4. प्रकृति:-

(क) किसी भी प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना की योजना को लिया जा सकता है ।

(ख) स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हो ।

(ग) सामूहिक लाभ की योजना के निर्माण पर राशि व्यय होगी ।

(घ) योजना लघु हो, जो उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो ।

5. योजना चयनः-

(क) उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि स्थानीय योजनाओं की उपयोगिता, उत्पादकता आदि का आकलन करके योजना का चयन किया जाए तथा सदस्य सचिव की हैसियत से जिला योजना समिति के माननीय सदस्यों को योजना चयन संबंधित नीतिमूलक मार्गदर्शन से अवगत करायेंगे तथा ऐसी योजनाएं, जो नीतिमूलक नहीं है, को जिला योजना समिति से पारित नहीं करने का आग्रह करेंगे। आग्रह अमान्य होने की स्थिति में सरकार का ध्यान वैसी योजनाओं की ओर आकृष्ट करायेंगे, जो स्वीकृत नीति के प्रतिकूल हो, को इस पर योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) से अपेक्षित स्वीकृति/परामर्श प्राप्त करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वयन पर कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) जिला योजना समिति योजना की नीतिगत स्वीकृति प्रदान करेगा तथा जिला योजना समिति की स्वीकृति के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा किसी कार्य विभाग को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी ।

(ग) इस परिपत्र में निहित मार्गदर्शन के अनुकूल चयनित परियोजनाओं में जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी ।

(घ) जिले में उपलब्ध प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना जिला योजना के अन्तर्गत ली जाएगी। एक बड़ी योजना को टुकड़ा कर लेने की प्रवृति पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने का दायित्व उपायुक्त का होगा ।

(ड़) जिला योजना अनाबद्ध निधि अन्तर्गत ली जानेवाली परियोजनाओं/कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 302 दिनांक 11 मार्च, 2015 में सन्निहित प्रावधान के अनुरूप की जाएगी। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन/अनुदेश के आलोक में उपायुक्त कार्रवाई करेंगे ।

6. अपवाद :-

(क) राशि का उपयोग पारिश्रमिक भुगतान/वेतनादि एवं मानदेय पर नहीं किया जा सकेगा।

(ख) इस राशि का उपयोग वाहन क्रय, स्टेशनरी, कम्प्यूटर आदि स्थापना सम्बन्धी कार्यों पर नहीं किया जा सकेगा ।

(ग) इस निधि का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्तियों के स्मारक/तोरण द्वार/मूर्ति अधिष्ठापन/कब्रिस्तान की घेराबन्दी/मन्दिरों एवं मूर्तियों की स्थापना आदि विषय पर नहीं किया जाय।

(घ) पुरानी योजनाओं की मरम्मति, रंगरोगण, सफाई जैसे आर्वत्तक प्रवृति के कार्य नहीं लिए जा सकेंगे ।

7. योजनाओं स्वीकृति की प्रक्रिया :-

(क) माननीय मुख्यमंत्री तथा उस जिला के जिला योजना समिति के अध्यक्ष-सह-प्रभारी मंत्री) के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा किए गए अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर जिला योजना कार्यालय द्वारा तकनीकी विभागों से संभाव्यवता एवं प्राक्कलन की मांग के आधार पर जिला योजना समिति के द्वारा योजनाएं चयनित की जा सकेगी, जिसपर जिला योजना समिति की आगामी बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ।

(ख) राज्य योजना अनाबद्ध निधि प्रत्येक जिला के लिए गठित जिला योजना समिति**,** जिसके अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री नामित हैं**,** को अनाबद्ध राशि उपलब्ध करायेगी एवं जिला योजना समिति **Critical Gap** को पहचान कर (अपवाद स्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को छोड़कर) क्षेत्रीय संतुलन और बुनियादी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना की स्वीकृति प्रदान करेंगे। विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुशंसित योजना को विशेष परिस्थिति में स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय जिले में उपलब्ध निधि को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा निधि के अनुपात में अधिक संख्या में योजनाओं के कार्यारम्भ कर देने से योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध राशि का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाए ।

प्रथमतः जिला योजना अनाबद्ध निधि का उपयोग इसके अन्तर्गत अपूर्ण चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु किया जाएगा। तत्पश्चात् बची शेष राशि का 115 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्तर्गत रहते हुए नई योजनाओं का चयन किया जा सकेगा। ऐसी चयनित एवं जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन अनाबद्ध निधि से किया जा सकेगा ।

(घ) जिला योजना के माध्यम से छोटी-छोटी योजनाएं ली जाए, जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में आसानी से पूरा किया जा सके और योजनाओं का लाभ जल्द उपलब्ध हो सके ।

(ड़) उपायुक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः सक्षम रहेंगे और उनका यह निर्णय रहेगा कि किस कार्यान्वयन विभाग के माध्यम से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा सके। योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से निर्धारित निविदा के माध्यम से ही कराया जाएगा।

(च) परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन की दृष्टि से जिले में उपलब्ध प्रशासनिक क्षमता एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर चयनित प्रक्षेत्रों, उत्पादन, नियोजन, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं आधारिक संरचना के बीच उपलब्ध निधि का वितरण संतुलित रूप से किया जाए, अन्यथा परियोजनाओं को स्वीकृत समय सीमा एवं स्वीकृत राशि के अन्दर पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा।

(छ) परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय जिले में उपलब्ध निधि को ध्यान में रखा जाए, अन्यथा निधि के अनुपात में अधिक संख्याओं में योजनाओं के कार्यारम्भ कर देने से योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध राशि का उपयोग चालू परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाए, तत्पश्चात अवशेष राशि से ही नई योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी जाए।

(ज) जिला योजना समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाए। इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी ।

8. कार्यकारिणी समिति का स्वरूपः-

जिला योजना समिति की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः-

(i) उपायुक्त - अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त - उपाध्यक्ष

(iii) जिला योजना पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(iv) विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी - सदस्य

(v) जिला स्तरीय अभियंत्रण इकाई/ कार्यालय के कार्यपालक अभियंता - सदस्य

यह कार्यकारिणी समिति जिला योजना के सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण आदि का कार्य करेगी। उपायुक्त इस समिति को अधिक कार्यशील बनायेंगे, ताकि निर्गत मार्गदर्शन सिद्धान्तों के आलोक में उपयोगी जिला योजना तैयार की जा सके।

जिला स्तर पर मनरेगा, **14**वें वित्त आयोग के अन्तर्गत योजना बनाओ अभियान आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से चिन्हित परियोजनाओं में से वैसी सामुदायिक आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएँ, जो विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं की जा सकती है, उन्हें अनाबद्ध निधि से कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से कार्यकारिणी समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकेगा। कार्यकारिणी समिति यथा उपयुक्त विवेचना के उपरान्त

अनुमान्य परियोजनाओं को अनाबद्ध निधि के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला योजना समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करेगी ।

9. निधि:-

योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) द्वारा उपायुक्तों को राशि उपलब्ध करायी जाएगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिले के उपायुक्त होंगे। राशि का व्यय राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में उपायुक्त/उनके द्वारा नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। योजनाओं का क्रियान्वयन जिलास्तर पर उपायुक्त द्वारा नियमानुकूल किसी एजेन्सी से कराया जा सकेगा ।

10. नोडल कार्यालय:-

नोडल विभाग योजना-सह-वित्त विभाग होगा। जिला में नोडल पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर नोडल कार्यालय जिला योजना कार्यालय होगा ।

11. **District Profile, Vision Document** एवं वार्षिक कार्य योजना:-

(क) जिला योजना अनाबद्ध निधि की कार्य योजना बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला के द्वारा वित्तीय वर्ष विशेष के लिए इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर-नवम्बर में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की विषेष बैठक आहूत राष्ट्रीय एवं राज्य के विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिला का एक **District Profile** एवं पंचवर्षीय **Vision Document** तैयार किया जाएगा, जिसमें उस जिले को राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचने के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित रहेंगे। जिसके आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

(ख) इस वार्षिक कार्य योजना को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से क्या-क्या प्रयास किए जायेंगे, इसकी भी जानकारी एकत्र की जाएगी ।

(ग) विभागीय प्रयासों के पश्चात् वार्षिक कार्य योजना की अभिप्राप्ति हेतु आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्यों का प्रारम्भिक चयन जिला योजना की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राथमिकता क्रमांक अंकित करते हुए किया जाएगा ।

(घ) अनाबद्ध निधि के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु ऐसी समेकित योजनाओं की सूची प्राथमिकता क्रमांक के साथ जिला योजना समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा ।

(च) अनाबद्ध निधि से कार्यान्वित की जा सकनेवाली नई परियोजनाओं के वार्षिक वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत रहते हुए जिला योजना समिति का इसपर अनुमोदन जिला योजना समिति से प्राप्त किया जाएगा ।

12. उपायुक्त एवं जिला योजना पदाधिकारी का दायित्वः-

जिला योजना के लिए अनटायड फंड, विकास कार्यक्रमों के लिए, पूरक स्वरूप दी जा जा रही है। अतएव विभिन्न प्रक्षेत्रों के प्रशासी विभागों का दायित्व है कि अनटायड फंड में उपलब्ध निधि के सदुपयोग की कारगर व्यवस्था करें। चूंकि इस निधि के उपयोग के लिए समन्वय का दायित्व जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है, अतएव उपायुक्त से आग्रह है कि जिलों में उपलब्ध प्रशासनिक /तकनीकी क्षमता का उपयोग अनटायड फंड से ली जानेवाली योजनाओं के कार्यान्वयन में करें।

जिलें में उपलब्ध कार्य विभागों के अभियंत्रण इकाईयों का चयन उपायुक्त द्वारा कार्य की आवश्यकता एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार कार्य सौंपे जाने के बाद संबंधित अभियंत्रण इकाईयों द्वारा कार्य/परियोजना विशेष का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से विधि मान्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें उपायुक्त को जिला योजना पदाधिकारी आवश्यक सहयोग करेंगे।

वर्ष में कम से कम दो बार जिला योजना समिति की बैठक संभव हो सके, जिसके लिए उपायुक्त एवं जिला योजना पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

13. अनुश्रवण :-

(क) योजनाओं का अनुश्रवण जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। प्रत्येक माह जिला योजना पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपायुक्त को देंगे, जिनके द्वारा मासिक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी शत प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण प्रत्येक माह करेंगे। उपायुक्त द्वारा **Randomly** किसी योजना का औचिक निरीक्षण किया जाएगा। प्रमण्डलीय आयुक्त प्रत्येक तीन माह पर किसी योजना का औचक निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक जिला द्वारा विभाग को प्रत्येक माह की **10**वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) प्रशासी विभाग को प्रेषित करेंगे ।

(ख) राज्य स्तर पर विभाग में अनुश्रवण कोषांग गठन होगा, जो प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित करेगें। राज्य स्तर पर प्रत्येक दो माह में योजना क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक होगी। समय-समय पर विभाग द्वारा योजनाओं का भौतिक अनुश्रवण भी किया जाएगा ।

14. बैठकः-

जिला योजना समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक मासिक रुप से आयोजित की जाएगी। जिला योजना समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो बार आयोजित करना अनिवार्य होगा ।

15. योजनाओं का संधारण एवं रख-रखाव:-

(क) योजना पूर्ण होने के सम्बन्ध में जिला योजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त के द्वारा विभाग को पूर्ण होने की सूचना उपलब्ध करायी जाएगी ।

(ख) योजना को पूर्ण होने के पश्चात्, उसके संधारण का दायित्व संबंधित पंचायत/ नगर निकाय/पंचायत समिति का होगा। उपायुक्त से अपेक्षा है कि पूर्ण की गई योजनाओं के संबंध में पूर्ण सूचना संबंधित निकायों के एसेट पंजी में दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनके द्वारा इन योजनाओं के समुचित संधारण हेतु व्यवस्था की जा सके ।

16. राशि का आवंटन:-

योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) द्वारा राशि का उपवांटन जिलों के बीच उनकी जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के आधार पर करेगा ।

17. उक्त मार्गदर्शिका पर मंत्रिपरिषद की दिनांक **3** मई**, 2016** को सम्पन्न हुई बैठक में मद सं०-**3** के तहत स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 317—50 ।